



स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको

कार्यशर्त तथा कार्यविधि



स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको

कार्यशर्त तथा कार्यविधि



गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको
संख्या तथा सीमाना निर्धारणआयोग
काठमाडौं

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कार्यशर्ततथा कार्यविधि

१. पृष्ठभूमि

नेपाल राज्यको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग उक्त तीन वटै तहवाट एकल तथा सहकार्यात्मक ढंगले हुने गरि संविधानको अनुसूचि ५, ६, ७, ८ र ९ मा विभिन्न तहका अधिकारहरु वाडफाड गरिएको छ । संविधानप्रदत्त अधिकारहरुको अभ्यासका लागि सक्षम तथा सुदृढ स्थानीय तहको संरचना तयार पार्ने उद्देश्यले संविधानको धारा २९५(३) अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग गठन भएकोछ । उक्त आयोगको काममा सहयोग गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिम स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको गठन

| | |
|---|-----------------|
| स्थानीय विकास अधिकारी | संयोजक |
| अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय | सदस्य |
| अधिकृत प्रतिनिधि, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय | सदस्य |
| अधिकृत प्रतिनिधि, मालपोत कार्यालय | सदस्य |
| अधिकृत प्रतिनिधि, नापी कार्यालय | सदस्य |
| योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला विकास समिति | सदस्य सचिव |
| <u>आमन्त्रित सदस्यहरु:</u> | |
| जिल्ला वन कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि | आमन्त्रित सदस्य |
| तथ्याडक कार्यालयको प्रमुख | आमन्त्रित सदस्य |

योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत नभएको अवस्थामा जिल्ला विकास समितिको अन्य अधिकृतलाई सदस्य सचिवको रुपमा तोक्न सकिनेछ ।

जिल्ला सदरमुकाम रहेको नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत लगायत समितिले आवश्यकता हेरि अन्य पदाधिकारीहरुलाई आमन्त्रण गर्नसक्नेछ ।

२. समितिको कर्तव्य

आयोगको निर्देशन अनुसार जिल्लास्तर तथा स्थानीयस्तरमा पुनर्संरचनाको कार्य गरी आयोगको काममा सहयोग गर्नु स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

३. समितिका कार्य, शर्ततथा मापदण्डहरू

३.१ कार्यहरू

- (क) जिल्लाभित्र कायम हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको उपयुक्त संख्या, सीमाना तथा सोको नामाकरण र केन्द्र आयोगमा प्रस्ताव गर्ने ।
- (ख) माथि (क) अनुसार प्रस्ताव गर्दा आयोगले दिएको मापदण्ड पुरा गरेको क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा सिफारिस गर्नसकिनेछ ।
- (ग) माथि (क) वमोजिम प्रस्तावित गाउँपालिका तथा नगरपालिका क्षेत्र भित्र कायम हुने वडाहरूको संख्या र सीमाना आयोगवाटदिईएको मापदण्ड अनुसार सिफारिस गर्ने ।
- (घ) जिल्ला/स्थानीयस्तरमासरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया, छलफल तथा बैठकहरू आयोजना गरी सो वाट प्राप्त सुझाव एवं पुनर्संरचनासँग सम्बन्धितसूचना तथा तथ्यांक विश्लेषण गरी सोको आधारमा माथि (क) र (ख) अनुसार अनुसूची ३ को ढाँचामा आयोगमा प्रतिवेदन गर्ने ।

३.२ आधार र मापदण्डहरू

३.२.१.गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको सिफारिस गर्दा निम्न सूचक तथा मापदण्डका आधारमा गर्नु पर्नेछ ।

(क) जनसंख्याको न्युनतम सीमा

| भौगोलिक क्षेत्र | स्थानीय तहका नाम | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| | गाउँपालिका | नगरपालिका | उपमनपा | महानपा |
| हिमाल (हिमाली भूभाग) | १५००० | २०००० | १,५०,००० | ३,००,००० |
| हिमाल (पहाडी भूभाग) | २५००० | ३५००० | | |
| पहाड | २५००० | ३५००० | | |
| भित्री भधेश (पहाडी भूभाग) | २५००० | ३५००० | | |
| भित्री मधेश (समथर भूभाग) | ५०००० | ७५००० | | |
| तराइ | ५०००० | ७५००० | | |

तर हिमाली क्षेत्र वाहेकका जिल्लाको जिल्ला सदरमुकामका र काठमाण्डौ उपत्यकामा रहेका नगरपालिकाको हकमा निम्नानुसारको जनसंख्या हुनुपर्नेछ ।

| भौगोलिक क्षेत्र | नगरपालिका | कैफियत |
|--------------------------------------|-----------|--|
| पहाडी जिल्ला सदरमुकाम | ४५००० | भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको जिल्लाको सूची अनुसूची १ मा दिईएको छ । |
| काठमाण्डौ उपत्यका | ९५००० | |
| तराई र भित्री मधेशका जिल्ला सदरमुकाम | ९५००० | |

३.२.२.जिल्लामा रहनसक्ने स्थानीय तहका ईकाई(गाउँपालिका र नगरपालिका/ उपमहानगर/ महानगरपालिका) को अधिकतम संख्या अनुसूची २ वमोजिम हुनेछ ।

३.२.३.(i) सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा यथासक्य वरावर (± 15 प्रतिशतसम्म) जनसंख्या रहने गरि देहायका संख्यामा अधिकतमवडाहरु रहन सक्नेछन् ।

| भौगोलिक क्षेत्र | स्थानीय तहका नाम | | | |
|---|------------------|-----------|----------------|--------------|
| | गाउँपालिका | नगरपालिका | उपमहानगरपालिका | महानगरपालिका |
| हिमाल | ५ देखि ९ | ९ | १९ देखि २७ | २८ देखि ३५ |
| पहाड | ५ देखि १२ | ९ देखि १४ | | |
| काठमाडौं उपत्यका, भित्री मधेश (समथर भूभाग) र तराई | ५ देखि १५ | ९ देखि १८ | | |

सम्बन्धित ईकाईमा रहने वडाको निर्धारण र वाडफाड गर्दा साविकको सिङ्गो गाविसलाई कम्तिमा एक वडा कायम गर्नु पर्नेछ ।

(ii) उपर्युक्त वडा संख्याको सीमा भित्र रही गाउँपालिका वा नगरपालिकामा वडासंख्या तय गर्ने विधि देहाय अनुसार हुनेछ ।

(क) वडा संख्या कायम गर्दा सम्बन्धित ईकाईको कुल जनसंख्यालाई देहायको जनसंख्याले भाग गरी वडा कायम गर्ने ।

| भौगोलिक क्षेत्र | जनसंख्या | | |
|--|------------|-----------|----------------|
| | गाउँपालिका | नगरपालिका | उपमहानगरपालिका |
| हिमाल | ३००० | ३००० | ८००० |
| पहाड | ३७०० | ४००० | |
| काठमाण्डौ उपत्यका, भित्री मधेश (समथर भूभाग) र तराई | ७००० | ८००० | |

- (ख) यसरी भाग गरी शेष रहने संख्या माथी (क) मा दिईएको संख्याको आधा भन्दा वढी भएमा एक वडा थप गर्न सकिनेछ ।
- (ग) यसरी वडा कायम गर्दा गाउँपालिकाको हकमा न्युनतम ५ र नगरपालिकाको हकमा न्युनतम ९ वडा संख्या भन्दा कम हुने छैन ।
- (घ) माथी (क) र (ख) अनुसार वडा कायम गर्दा अव वन्ने ईकाईमा गाभिने गाविस संख्या भन्दा कम हुने छैन ।

(ख) भुगोल र क्षेत्रफल (गाउँपालिका र नगरपालिकाको सदरमुकामलाई सेवा प्रवाह केन्द्र मानेर):

| Road Head वाट सेवा प्राप्त गर्ने स्थलमा पुग्ने लाग्ने अधिकतम समय-सवैभन्दा टाढाको वस्तिलाई आधार मानी (घण्टा) | | | सेवा लिई घर फर्कन लाग्ने समय - सवै भन्दा टाढाको वस्तिलाई आधार मानी(घण्टा) | | |
|---|------|------|---|------|------|
| हिमाल | पहाड | तराई | हिमाल | पहाड | तराई |
| ४ | ३ | २ | ८ | ६ | ४ |

भित्रीमधेशकाजिल्लाकोपहाडकालागिपहाडरसमथरक्षेत्रकोलागितराईकासूचकनैलागुहुनेछ।

(ग)जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक सघनता:

- संभव भएसम्म जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक वसोवासहरु एकै इकाईमा रहनेगरी गर्ने ।

(घ)भौगोलिक सुगमता सम्बन्धी आधारहरु:

- गाउँपालिकामा न्युनतम ३ र नगरपालिकामा न्युनतम ५ वटा वजारकेन्द्र हुनुपर्ने ।
- पूर्वाधारले ल्याएको सन्निकटता नभएको अवस्थामा प्रष्ट चिनिने प्राकृतिक अवरोध नाधने गरी सीमाना निर्धारण नगर्ने ।
- सम्भव भएसम्म पानी ढलो मिल्नेगरी गर्ने ।
- भौगोलिक निरन्तरता नटुट्ने गरी गर्ने ।
- वस्ती विस्तारित हुँदै जोडिन सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएमा सम्भव भएसम्म एउटै क्लस्टरमा राख्ने (conurbation)

(ङ) प्राकृतिक स्रोत:

- खानेपानीको स्रोत, जलाधार, सिंचाइ मुहान, तालतलैया, सामुदायिक/कवुलियती/धार्मिक वनलाइ संभव भए सम्म एउटै इकाईमा राख्ने ।

(च) संस्थागत पूर्वाधार: प्रस्तावित स्थानीय तहमा न्युनतम देहायका पूर्वाधार हुनुपर्नेछ:

| गाउँपालिका | नगरपालिका | उपमहानगरपालिका |
|------------|----------------------|---------------------------|
| १० जोड २ | स्नातक तहको क्याम्पस | स्नातकोत्तर तहको क्याम्पस |

(छ) आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई आधार मानी आन्तरीक आय (रु.) देहायवमोजिम हुनुपर्नेछः

| | नगरपालिका | उपमहानगरपालिका | महानगरपालिका |
|---|-----------|----------------|--------------|
| हिमाल | २० लाख | १० करोड | ४० करोड |
| पहाड | ३५ लाख | | |
| काठमाडौं उपत्यका, भित्री मधेश र तराई | ७५ लाख | | |

(ज) माथि उल्लेखित मापदण्डका अतिरिक्त नगरपालिका प्रस्ताव गर्नको लागि देहायवमोजिम पूर्वाधार भएको वा तत्कालै हुनसक्ने अवस्था हुनु पर्नेछ ।

नगरपालिका:

- आफ्नो क्षेत्र भित्र ल्याण्डफिल साइट हुनुपर्ने वा सो नभएमा भरपर्दो वैकल्पिक ब्यवस्था सुनिश्चित भएको हुनु पर्नेछ ।
- खुला क्षेत्र भएको र पार्क उद्यान भएको वा हुन सक्ने भएको हुनु पर्नेछ ।
- हाटवजार क्षेत्र भएको वा राख्न पर्याप्त ठाउँ भएको हुन पर्नेछ ।
- कम्तिमा एक स्वास्थ्य केन्द्र भएकोहुनुपर्नेछ ।
- दमकल, एम्बुलेन्स सेवा सहितको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक जग्गा प्रयाप्त भएको हुन पर्नेछ ।
- साना, मझौला र ठुला उद्योग सञ्चालनमा रहेका हुनुपर्नेछ ।
- सञ्चार, विद्युत र सडक यातायात सेवा उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ ।
- बैंक तथा वित्तिय संस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
- खेलमैदान भएको हुनुपर्नेछ ।
- वसपार्क भएको वा सोको लागि आवश्यक जग्गा भएको हुनुपर्ने ।
- खानेपानी तथा ढल निकासको ब्यवस्था भएको हुनुपर्नेछ ।
- सार्वजनिक सौचालय भएको हुनुपर्नेछ ।
- सामुदायिक भवन वा सभाहल भएको हुनुपर्नेछ ।

उपमहानगरपालिका:

- नगरपालिकाका लागि चाहिने सबै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ ।
- २०० सैयाको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ ।
- रंगशाला वा खेलमैदान र कभर्ड हल भएको हुनुपर्नेछ ।
- सभाहल भएको हुनुपर्नेछ ।
- फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र, पशुवधशाला र शवदाह स्थल भएको हुनुपर्नेछ ।

महानगरपालिका:

- उपमहानगर पालिका र नगरपालिकाका लागि चाहिने सबै पुर्वाधार हुनुपर्नेछ ।
- ५०० सैयाको विशेषज्ञ सेवा सहितको हस्पिटल भएको हुनुपर्नेछ ।

- रंगशाला भएको हुनुपर्नेछ ।
- प्राविधिक शिक्षालय भएको हुनुपर्नेछ ।
- संग्रहालय भएको हुनुपर्नेछ ।
- टर्मिनल सहितको वसपार्क हुनुपर्नेछ ।
- तरकारी तथा फलफूल विक्री केन्द्र भएको हुनुपर्नेछ ।
- कम्तिमा एक सपिड मल हुनुपर्नेछ ।

नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका प्रस्तावका लागि थप ब्यवस्था:

- विद्यमान नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका समेतले माथि उल्लेखित सबै मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
- विद्यमान नगरपालिकाहरूलाई एक आपसमा गाभी सक्षम ईकाई बनाउने । यसको लागि हाल भैरहेका नगरपालिकाहरू र नगरपालिकासंग जोडिएका गाविसहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने ।
- जिल्ला सदरमुकामलाई नगरपालिका बनाउन प्रोत्साहित गर्ने ।

३.२.४ विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् ॥

(क) विशेष क्षेत्र निर्धारणका आधारहरू:

देहायका प्रकृतिका क्षेत्रहरू रहेका गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विशेष क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।

- आर्थिक रूपमा पछि परेका क्षेत्र वा समुदाय(गरिवीको रेखा मुनीको जनसंख्या प्रतिशत राष्ट्रिय औषत भन्दा माथी रहेको क्षेत्र)। *यस प्रयोजनका लागि केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित गरिवीको लघुक्षेत्र अनुमान(Small Area Estimation of Poverty, 2011) को प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सकिन्छ । उक्त प्रतिवेदन आयोगको वेबसाईट llrc.gov.np मा राखिएको छ ।*
- सामाजिक रूपमा अति पछि परेको समुदाय,
- भौगोलिक कठिनाई युक्त(दुर्गमता, प्राकृतिक अवरोध) भएको क्षेत्र

(ख) संरक्षित क्षेत्र निर्धारणका आधारहरू:

- अति अल्पसंख्यकसमुदायका वसोवासका क्षेत्रहरू,
- लोपोन्मुख (स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा सुचिकृत) समुदायका वसोवास क्षेत्रहरू,
- अति सिमान्तकृत समुदायको वसोवास क्षेत्र(स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि, २०६९ मा सुचिकृत)

ग) स्वायत्तक्षेत्र निर्धारणका आधारहरू:

जिल्लामा कुनै भाग वा क्षेत्रमा एक जाति/समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र वाहुल्यता भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह (गाउँपालिका वा नगरपालिका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न सकिनेछ ।

३.२.५ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र तोक्ने आधारहरू सामान्यतया देहाय वमोजिम हुनेछन्:

- संभव भएसम्म सम्बन्धित इकाइको मध्यभाग
- सडक यातायातले छोएको,
- सञ्चार सुविधा सहज उपलब्धता भएको,
- विद्युत सुविधा पुगेको,
- कार्यवोझका हिसावले भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने प्रयाप्त जग्गा वा खुला क्षेत्र भएको,
- वस्तीयोग्य भएको, जोखिमयुक्त नभएको ठाउँ

३.२.६ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्ने आधारहरू देहाय वमोजिम हुनेछन् ।

- स्थानीय विशिष्टतालाई झल्काउने नाम राख्ने,
- ऐतिहासिक स्थल वा पहिचानको निरन्तरताबाट नामाकरण गर्न सकिने,
- हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक श्रोत, राष्ट्रिय विभुतिको नामबाट राख्न सकिने,
- स्थानीय समुदायका विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान तथा धार्मिक सम्पदालाई आधार मान्न सकिने,
- नामाकरण गर्दा सकेसम्म छोटो नाम राख्ने,
- नामकरण गर्दा ज्यास, कमा (-,) आदि प्रयोग नगर्ने

३.२.७ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजनका आधारहरू सामान्यतया देहायवमोजिम हुनेछन् ।

- सकेसम्म जनसंख्याको समान वितरण (± १५ प्रतिशत हुन सक्ने) हुनेगरि,
- प्रशासनिक सुगमता कायम हुनेगरि
- समुदाय नटुक्रिनेगरि (community togetherness) र सम्भव भएसम्म समुदायको संरचनामा एकरूपता हुनेगरि (community cohesiveness) र विघटन नहुनेगरि
- साविकको वडा नटुक्रिनेगरि ।
- वडाको निरन्तरता नटुट्नेगरि ।
- प्राकृतिक श्रोत (खानेपानी, सामुदायिक वन आदि) संभव भएसम्म प्रत्येक वडामा पर्ने गरि।
- आवश्यक देखिएमावडाहरूको समेत नामाकरण गर्न सकिनेछ ।

३.३ शर्तहरू

३.३.१ हाल रहेका गाउँ विकास समितिको कार्यालय(केन्द्र)लाई अव वन्ने स्थानीय तहको वडा/संयुक्त वडा सेवा केन्द्र प्रस्ताव गर्ने ।

३.३.२ सामान्यतः समान जनसंख्या, क्षेत्रफल र प्रशासनिक सुगमता कायम हुने कुरालाई समेत ध्यानमा राखी गठन हुने वडाहरूको संख्या र सीमानाको प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।

- ३.३.३ वडाको प्रस्ताव गर्दा हाल कायम रहेको वडालाई नटुक्राई आवश्यकता अनुसार वडाहरुलाई सम्मिलन गर्नु पर्नेछ ।
- ३.३.४ नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेश र जिल्लाको सीमाना नखल्बलिने गरी पुनर्संरचनाको सुझाव पेश गर्नु पर्नेछ ।
- ३.३.५ राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै भाषाभाषी र जात जातिका जनतालाई सकेसम्म एकीकृत गर्ने र तिनको पहिचान, संरक्षण, सम्बर्धन र विकास हुनसक्ने गरी सम्भव भएसम्म निरन्तरता नटुट्ने गरी पुनर्संरचना प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ ।
- ३.३.६ स्थानीय राजनैतिक दल, सञ्चारकर्मी, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरु समेतको व्यापक सहभागितामा पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफल सञ्चालन गर्ने र उक्त प्रकृया पारदर्शीहुनेगरी पर्याप्त प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
- ३.३.७ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नामाकरण गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसकेको खण्डमा विकल्पका रूपमा थप एक वैकल्पिक प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।

४. कार्यविधि

समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा सामान्यतया देहाय वमोजिमका चरण र विधिहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने छ ।

४.१ पूर्व तयारी कार्य

आयोगका कार्य, शर्त र कार्यविधि तथा पुनर्संरचनाका आधार र मापदण्डका बिषयमा समितिका सदस्यहरु एवं आम सरोकारवालाहरुबीच साझा धारणा र बुझाई निर्माण गर्न देहायवमोजिम पूर्व तयारी कार्य गर्नुपर्नेछ ।

४.१.१ समितिको बैठक र आन्तरिक तयारी

- समितिको कार्य तथा मापदण्डका बिषयमा छलफल गरि सदस्यहरुबीच कार्यविभाजन गर्ने
- जिल्लामा स्थानीय तहको सम्भावित संरचनाका बारे छलफल गर्ने ।
- जिल्लास्तरीय कार्यशालाको योजना निर्माण र कार्यान्वयनको तयारी गर्ने
- स्थानीय परामर्श कार्यशालाहरुको स्थानको पहिचान तथा मोटामोटी समय तालिका निर्माण गर्ने
- आयोगको कार्य योजनासँग तादात्म्यता कायम गर्ने गरि समितिको कार्य योजना निर्माण गर्ने

४.१.२ राजनैतिक दल तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग परामर्श

जिल्लामा क्रियाशील राजनैतिक दल, जिल्लावाट प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यवस्थापिका संसद सदस्य तथा पूर्व जनप्रतिनिधिहरूसँग विभिन्न चरणमा निम्न लगायतका विषयमा परामर्श गर्ने:

- स्थानीय निकाय र स्थानीय तह विचको अन्तर वारे छलफल एवम् जानकारी,
- स्थानीय तहका अधिकारसूचीवारे विस्तृत छलफल एवम् जानकारी,
- समितिको कार्यशर्त, मापदण्ड तथा जिल्ला भित्र वन्न सक्ने स्थानीय तहका ईकाईहरूको अधिकतम संख्याका बिषयमा जानकारी गराउने,
- जिल्लाभित्र वन्नसक्ने स्थानीय तहको संभावित संरचनाका वारेमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने र सहमतीको सम्भावित विन्दु पहिचान गर्ने,
- छलफलका क्रममा संकलित सूचना विश्लेषण गरि प्रस्तुत गर्ने, आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख एवम् सम्बन्धित गाविससचिवलाई आमन्त्रण गर्ने,
- जिल्लास्तरीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी तथा ईलाका/स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीहरूको स्थान (सामान्यतया: संभावित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र वन्नसक्ने स्थानहरू) आँकलन गर्ने तथा मोटामोटी समय तालिकामा सहमति कायम गर्ने,
- राजनीतिक दलहरूवाट समितिलाई हुने सहयोगका क्षेत्रहरू पहिचान गरि सोका लागि प्रतिवद्धता प्राप्त गर्ने ।

४.१.३ कार्यालय प्रमुख तथा गाविस सचिवहरूसँग परामर्श

- स्थानीय निकाय र स्थानीय तह विचको अन्तर एवम् स्थानीय तहका अधिकारसूची वारे छलफल गरि जानकारी दिने र साझा वुझाई कायम गर्ने,
- समितिको कार्यशर्त, मापदण्ड तथा स्थानीय तहको जिल्लागत सीमाका बिषयमा कार्यालय प्रमुखहरूलाई जानकारी गराउने र जिल्लाभित्र स्थानीय तहको संभावित संरचनाका वारेमा छलफल गरि अभिमत सङ्कलन गर्ने,
- कार्यालय प्रमुखसँगको बैठकमा पुनर्संरचनाका क्रममा बिषयगत निकायबाट प्राप्त हुनसक्ने सूचना / तथ्यांकहरू पहिचान गरि सङ्कलन गर्ने प्रवन्ध मिलाउने,
- गाविसवाट प्राप्त हुने विवरण पहिचान गरि गाविस सचिवहरूलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गर्दा ल्याउनुपर्ने विवरणको फरम्याट पठाउने,
- जिल्लामा नयाँ वन्नेस्थानीय तहका ईकाईहरूको अधिकतम संख्याका बिषयमा जानकारी गराई गाविस सचिवहरूसँग जिल्लाभित्र वन्नसक्ने स्थानीय तहको संभावित संरचनाका वारेमा छलफल गरि अभिमत सङ्कलन गर्ने ।

४.१.४ नागरिक समाज तथा अगुवाहरूसँग परामर्श (जिल्लागत विशिष्टता हेरि आवश्यकता अनुसार)

- नागरिक समाजका नेतृत्व तथा अन्य अगुवा व्यक्तित्वहरू पहिचान गरि परामर्श गर्ने,

- यस क्रममा स्थानीय निकाय र स्थानीय तह विचको अन्तर वारे छलफल गर्दै स्थानीय तहका अधिकारसूचीवारे साझा वुझाई भएको सुनिश्चित गर्ने,
- जिल्लामा रहनसक्ने स्थानीय तहका ईकाईहरूको संख्याको सीमा जानकारी गराउँदै सम्भावित संरचनाका वारेमा परामर्श गर्ने । पुनर्संरचना प्रकृत्यामा सक्रिय भूमिका रहने प्रतिवद्धता प्राप्त गर्ने ।

४.२ सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल तथा प्रचार प्रसार

जिल्लाको सबै भूभाग कभरेज गर्ने गरि एफ.एम. लगायत जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेका अधिकाधिक सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूसँग बैठक राखि निम्न लगायत अन्य आवश्यक विषयमा सूचना प्रवाह गर्ने । साथै, जिल्लामा स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्रकृत्याका आवश्यक विषयमा पूर्ण सहयोगको प्रतिवद्धता प्राप्त गर्ने ।

- स्थानीय निकाय र स्थानीय तह विचको अन्तर,
- स्थानीय तहका अधिकारसूची र स्थानीय सरकारको वृहत अधिकार क्षेत्र,
- समग्र पुनर्संरचना प्रकृत्या, जिल्लाको लागि सीमा र जिल्लामा सञ्चालन हुने कृत्याकलापहरू (जिल्लास्तरीय परामर्श कार्यशाला तथा स्थानीय स्तरीय परामर्श कार्यशाला) को विस्तृत विवरण,
- जिल्ला र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने परामर्श कार्यशालाहरू र सहभागीता वारेमा जानकारी।

४.३ जिल्लास्तरीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी

४.३.१ जिल्लास्तरीय परामर्श कार्यशालाका अपेक्षित उपलब्धिदेहाय वमोजिम हुनेछन:

- जिल्ला भित्र रहनेस्थानीय तहको संख्या र सीमाना तय भएको हुने,
- गाउँपालिका/नगरपालिकाको संभावित केन्द्रको पहिचान भएको हुने,
- प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकामा रहने संभावित वडा संख्या एकिन भएको हुने,
- स्थानीय तहका ईकाईहरूको नामाकरणको प्रस्ताव तयार भएको हुने,
- ईलाकास्तरीय गोष्ठीमा सरोकारवालाको सहभागीता सुनिश्चित हुने आधार तयार भएको हुने।

४.३.२ जिल्लास्तरीय परामर्श कार्यशालामा देहाय वमोजिम सहभागीहरू रहनेछन् ।

- जिल्लाका मन्त्री, जिल्लावाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू
- पूर्वमन्त्रीहरू, पूर्व सांसदहरू
- जिल्लामा कृत्याशील सबै राजनैतिक दलका प्रमुख/प्रतिनिधि,
- जिल्लामा कृत्याशील राजनैतिक दलका क्षेत्रीय प्रमुखहरू
- जिल्लास्थित सबै कार्यालय प्रमुखहरू
- जिल्ला विकास समितिका पूर्व सभापति/उपसभापति

- निवर्तमान ईलाका-सदस्यहरू
- जिल्लास्थित नगरपालिकाका निवर्तमान मेयर/उपमेयर
- गाविस महासंघ जिल्ला अध्यक्ष/उपाध्यक्ष
- गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रको अध्यक्ष
- पत्रकार महासंघ, पत्रकारीता संग सम्बन्धित अन्य संघ संस्था
- वार एशोशिएसन
- उद्योग वाणिज्य संघ
- गैसस महासंघ
- जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्षहरू (आ.ज./दलित/महिला/अपांग)
- वन उपभोक्ता महासंघ
- नागरिक समाज
- प्राध्यापक, वृद्धिजिवी
- स्थानीय तह प्राविधिक सहयोग समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सहभागी (आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिलावाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने)
- जिल्ला सहकारी संघ

४.३.३ जिल्लास्तरीय परामर्श कार्यशालाको कार्यप्रकृया सामान्यतया देहाय वमोजिम हुनेछ । जिल्लागत विशिष्टता हेरी समितिले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरि कार्याशाला सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(क) प्रारम्भिक सत्र

१. कार्यशालाको औपचारिक सुरुवात,
२. स्थानीय तह र स्थानीय निकाय विचको सारभूत फरक, स्थानीय तहका अधिकारसूची तथा स्थानीय तहको पुनर्संरचना प्रकृयाका वारेमा जानकारीमूलक प्रस्तुती,
३. संख्या र सीमाना तय गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने सूचक तथा मापदण्डका वारेमा प्रस्तुती
४. सूचक तथा मापदण्डका आधारमा जिल्लाभित्र वन्न सक्ने स्थानीय तहका ईकाईहरूको अधिकतम संख्याको वारेमा जानकारी,
५. जिल्ला भित्र वन्न सक्ने विशेष/संरक्षित/स्वायत क्षेत्रसहितको स्थानीय तहको मापदण्डहरूवारे जानकारी ।

(ख) संख्या तथा सीमा निर्धारण कार्यशाला:

६. जिल्लाको भौगोलिक, जनसांख्यिक, प्राकृतिक स्रोत लगायतका तथ्य, तथ्याङ्कका वारेमा मन्थन,
७. सूचक र मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहका लागि प्राप्त अधिकतम संख्या भित्र रही जिल्लामा वन्न सक्ने स्थानीय तहका संख्यामा छलफल गर्ने,

८. जिल्ला भित्र रहने स्थानीय तहको सीमाङ्कन,
९. गाउँपालिका/नगरपालिकाको संभावित केन्द्र पहिचान,
१०. प्रत्येक गाउँपालिका/नगरपालिकामा रहने संभावित वडा संख्या एकिन गर्ने।

(ग) स्थानीय परामर्श कार्यशालाहरूको स्थान, मिति र सहभागीका वारेमा जानकारी तथा जिल्लावाट सहभागीताका लागि अनुरोध गर्ने ।

४.४ स्थानीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी

४.४.१ स्थानीय परामर्श कार्यशालामा देहाय वमोजिम सहभागीहरू रहनेछन् ।

- साविकका ईलाकामा पर्ने सबै गाविसका राजनैतिक दलका प्रमुख/प्रतिनिधि
- पूर्व ईलाका सदस्यहरू
- गाविसका पूर्व अध्यक्ष/उपाध्यक्षहरू
- ईलाकास्तरमा रहेका कार्यालय प्रमुखहरू
- गाविस सचिवहरू
- सामाजिक परिचालकहरू
- स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालय/क्याम्पसका प्रमुख
- उद्योग वाणिज्य संघका स्थानीय ईकाईहरू
- नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू
- स्थानीय वृद्धिजिवी, समाजसेवीहरू
- स्थानीय प्राविधिक समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सहभागी (आदिवासी, जनजाती, दलित, मधेशी, मुस्लिम, महिलावाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने)

४.४.२ स्थानीय परामर्श कार्यशालाको सामान्य कार्यप्रकृया देहाय वमोजिम हुनेछ । स्थानीय विशिष्टता हेरी समितिले आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरि कार्यशाला सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

- स्थानीय तहको अधिकार-सूची तथा पुनर्संरचना प्रकृयाका वारेमा जानकारी दिने,
- जिल्लास्तरीय गोष्ठीको निश्कर्षका वारेमा जानकारी दिने,
- वडा सिमाङ्कन र सुझाव सङ्कलन।

५. प्रतिवेदन

जिल्लाभित्र रहने स्थानीय तहको संख्या, सीमाना, केन्द्र, नामाङ्कन तथा वडा विभाजनको खाका प्रष्ट हुनेगरि स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रस्ताव सहितको विस्तृत प्रतिवेदन आयोगमा श्रावण मसान्त सम्ममा पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा देहाय लगायतका विवरण तथा कागजात समावेश गर्नुपर्नेछ ।

- प्राविधिक सहयोग समिति स्तरीय बैठकहरू तथा सरोकारवालासँग भएका छलफलका विभिन्न बैठकको माईन्यूट तथा छलफलको निचोड
- जिल्लास्तरीय गोष्ठीको मिति, स्थान, सहभागीता, प्रकृया, छलफल तथा निर्णय/सुझावको अभिलेखन
- प्रत्येक स्थानीयस्तरीय गोष्ठीको मिति, स्थान, सहभागीता, प्रकृया, छलफल तथा निर्णय/सुझावको अभिलेखन
- गोष्ठीका सुझावहरूको अभिलेखन गर्दा सहमति भएका विषयहरू तथा प्रस्तुत भएका फरक मतहरू समेत स्पष्ट उल्लेख गर्ने
- सम्पूर्ण प्रकृयाको समष्टिगत विश्लेषण

६. अनुसूचीहरू

अनुसूची १

भौगोलिक क्षेत्र अनुसार नेपालका जिल्लाहरूको सूची

हिमाली जिल्ला:

ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, वाजुरा, दार्चुला, कालिकोट, दोलखा, वझाङ र सिन्धुपाल्चोक ।

पहाडी जिल्ला:

पाचथर, ईलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रामेछाप, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाण्डौ, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, तनहू, कास्की, स्याङ्जा, पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाची, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, अछाम, डोटी, डडेलधुरार वैतडी

भित्री मधेशका जिल्ला:

सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत

तराईका जिल्ला:

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, वारा, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, वाके, वर्दीया, कैलाली र कन्चनपुर

अनुसूची २

जिल्ला भित्र वन्नसक्ने स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) को अधिकतम संख्या

| क्र.स | जिल्ला | अधिकतम संख्या |
|-------|-------------|---------------|
| १ | ताप्लेजुङ | ८ |
| २ | पाचँथर | ५ |
| ३ | इलाम | ८ |
| ४ | संखुवासर्पा | ८ |
| ५ | तेह्रथुम | ५ |
| ६ | धनकुटा | ५ |
| ७ | पौजेपुर | ८ |
| ८ | खोटाङ | ९ |
| ९ | सोलुखुम्बु | ७ |
| १० | ओखलढुङगा | ७ |
| ११ | उदयपुर | ७ |
| १२ | झापा | १० |
| १३ | मोरङ | १३ |
| १४ | सुनसरी | ११ |
| १५ | सप्तरी | ११ |
| १६ | सिराहा | ८ |
| १७ | धनुषा | १० |
| १८ | महोत्तरी | ९ |
| १९ | सर्लाही | ११ |
| २० | रौतहट | १० |
| २१ | वारा | ९ |
| २२ | पर्सा | ८ |
| २३ | दोलखा | ७ |
| २४ | रामेछाप | ७ |
| २५ | सिन्धुली | ७ |

| क्र.स | जिल्ला | अधिकतम संख्या |
|-------|----------------|---------------|
| २६ | काभ्रेपलाञ्चोक | ११ |
| २७ | सिन्धुपाल्चोक | १२ |
| २८ | रसुवा | ३ |
| २९ | नुवाकोट | ९ |
| ३० | धादिङ | ११ |
| ३१ | चितवन | ८ |
| ३२ | मकवानपुर | ९ |
| ३३ | नवलपरासी | ४ |
| ३४ | ललितपुर | ६ |
| ३५ | काठमाण्डौ | ८ |
| ३६ | गोरखा | ८ |
| ३७ | लमजुङ | ७ |
| ३८ | तनहुँ | ९ |
| ३९ | कास्की | ५ |
| ४० | मनाङ | ३ |
| ४१ | मुस्ताङ | ३ |
| ४२ | पर्वत | ६ |
| ४३ | स्याङजा | ८ |
| ४४ | म्याग्दी | ५ |
| ४५ | वाग्लुङ | ८ |
| ४६ | नवलपरासी | ११ |
| ४७ | रुपन्देही | १३ |
| ४८ | कपिलवस्तु | ७ |
| ४९ | पाल्पा | ८ |
| ५० | अर्घाखाची | ६ |

| क्र.स | जिल्ला | अधिकतम संख्या |
|-------|----------|---------------|
| ५१ | गुल्मी | ९ |
| ५२ | रुकुम | ६ |
| ५३ | रोल्पा | ७ |
| ५४ | प्युठान | ७ |
| ५५ | दाङ | १० |
| ५६ | वाँके | ६ |
| ५७ | वर्दिया | ५ |
| ५८ | सल्यान | ७ |
| ५९ | डोल्पा | ६ |
| ६० | जुम्ला | ७ |
| ६१ | मुगु | ४ |
| ६२ | हुम्ला | ५ |
| ६३ | कालिकोट | ५ |
| ६४ | जाजरकोट | ५ |
| ६५ | दैलेख | ८ |
| ६६ | सुर्खेत | ८ |
| ६७ | वाजुरा | ७ |
| ६८ | वझाङ | ८ |
| ६९ | डोटी | ६ |
| ७० | अछाम | ७ |
| ७१ | दार्चुला | ७ |
| ७२ | वैतडी | ७ |
| ७३ | डडेलधुरा | ४ |
| ७४ | कञ्चनपुर | ८ |
| ७५ | कैलाली | १० |

अनुसूची २ कः जिल्लागत अधिकतम संख्या निर्धारणका आधारहरू

- क. सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहका लागि तोकिएको जनसंख्याको मापदण्डले जिल्लाको जनसंख्यालाई भाग गरी संख्या निर्धारण गरिएको ।
- ख. माथि (क) अनुसार गर्दा जतिसुकै ईकाई भएपनि जिल्ला सभाको सदस्य संख्याजिल्ला समन्वय समितिको न्युनतम पदाधिकारी संख्या भन्दा कम नहुने गरी हिमाली क्षेत्रमा कम्तिमा ३, पहाडी क्षेत्रमा कम्तिमा ४ र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तिमा ५ ईकाई पर्ने गरी गरिएको ।
- ग. माथि (क) र (ख) अनुसार गर्दा स्थानीय तहका प्रति ईकाई औषत क्षेत्रफल १३००वर्ग किमी भन्दा वढी क्षेत्रफल भएका जिल्लालाई औषत क्षेत्रफल १३०० वर्ग किमि भन्दा कम हुने गरि संख्या कायम गरिएको ।
- डोल्पा र हुम्ला
- घ. सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायको संख्यातल उल्लेख गरिए भन्दा वढी देखिएका जिल्लालाई संख्या थप गरिएको ।
- तराईमा ९ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरिएकोः सप्तरी
 - पहाडमा ८ भन्दा वढी निकाय सम्मिलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोः खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर, पर्वत, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा, ललितपुर
- ङ. सम्मिलन हुने साविकका स्थानीय निकायका संख्या ३ भन्दा कम नहुनेगरी संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं, भक्तपुर, बाजुरा, संखुवासभा
- च. थप अपवादः हिमाली जिल्ला तर पहाडी प्रकृति र पहाडी जिल्ला तर केही हिमाली प्रकृति भएकालाई अपवाद मानी संख्या तय गरिएकोः
- दार्चुलाः ३० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड र ७० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड कायम गरिएको
- लमजुङः ३० प्रतिशत हिमाली मापदण्ड र ७० प्रतिशत पहाडी मापदण्ड कायम गरिएको
- छ. नगरपालिकाका लागि चाहिने मापदण्ड वमोजिम न्युनतम जनसंख्या नभएकाले अव वन्ने स्थानीय तहको संख्या समायोजन गरिएकोः काठमाडौं र भक्तपुर ।

अनुसूचि: ३

स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले स्थानीय तह पुनसंरचना प्रस्ताव पठाउने ढाँचाहरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाको वेग्ला वेग्लै प्रतिवेदन युनिकोड फण्टमा तयार पारी सोको सक्कलै प्रति आयोगमा र सफ्ट कपि llrc.nepal@gmail.com मा पठाउनु पर्नेछ ।

क) प्रस्तावित गाउँपालिका/नगरपालिकाको पृष्ठभूमि -

अञ्चल, जिल्ला, अक्षांश, देशान्तर, दुइ वा सो भन्दा वढी गा.वि.स. वा नगरपालिका मिलि गाउँपालिका/नगरपालिका प्रस्ताव गरिएको भए सवै गा.वि.स.वा नगरपालिकाको निर्णय र संयुक्त सहमतिको वा इलाका/स्थानीय स्तरीय बैठकको निर्णय उल्लेख गर्नुपर्ने । थप विवरण समेत उल्लेख गर्न सकिने छ ।

ख) प्रस्तावित गाउँपालिका/नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय

नाम:

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी)

केन्द्र:

वडा संख्या:

जनसंख्या (२०६८ को जनगणना अनुसार)

जनघनत्व:

आन्तरिक आम्दानी(साविक गाविस/नपाको कुल आन्तरीक आय)

आ.व. ०६९/७० को:

आ.व. ०७०/७१ को:

आ.व. ०७१/७२ को:

ग) स्थानीय गोष्ठीको निर्णय:

| सि.नं. | समाविष्ट साविकका गा.वि.स /नगरपालिकाहरु | स्थानीय भेलाको निर्णयको मिति | विशेष, संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्रका रुपमा सिफारिस गरिएको भए उल्लेख गर्ने | कैफियत |
|--------|---|------------------------------------|---|--------|
| १ | | | | |

प्रस्तावित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई विशेष, संरक्षित वा स्वयत्त क्षेत्र सिफारिस भएको हकमा सो का आधारहरु,

क) विशेष क्षेत्र हुने आधार

१.

२.

३.

ख) संरक्षित क्षेत्र हुने आधार

१.

२.

३.

ग) स्वायत्त क्षेत्र हुने आधार

१.

२.

३.

घ) सिमाना (प्रस्तावित गापा/नपाको)

१) पूर्व:

२) पश्चिम:

३) उत्तर:

४) दक्षिण:

ङ) स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिको निर्णय मिति:

(निर्णय प्रतिलिपी समेत पठाउने)

च) प्रस्तावित गापा/नपामा गाभिने गाविस/नपाको जनसंख्या(जनगणना २०६८अनुसार) र क्षेत्रफल

| सि.नं. | साविकका गा.वि.स /नगरपालिकाहरु | जनसंख्या | क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी) | कैफियत |
|--------|-------------------------------|----------|-----------------------|--------|
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |
| ५ | | | | |

छ) प्रस्तावित गाउँ/न.पा. नजिक रहेका आफ्नो जिल्ला भित्रका अन्य छिमेकी गाविस/न.पा.हरू (रायक र नजिकको दुरीको आधारमा नजिककोलाइ िहिला लेख्ने)

- १.
- २.
- ३.
- ४.

ज) प्रस्तावित गाउँ/न.पा.को वडा विभाजन:

| क्र.स. | प्रस्तावित गाउँपालिका /न.पा.को वडा नं. | साविक गा.वि.स. र नगरपालिकाका वडाहरू | | प्रस्तावित गाउँपालिका /न.पा.को वडाको जनसंख्या |
|--------|--|-------------------------------------|--------|---|
| | | साविक गाविस वा नपाको नाम | वडा नं | |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |

झ) संस्थागत ंर्वाधार सम्बन्धी अवस्था:

| १. शिक्षण संस्था | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------|----------|----------|-------|---------|--------|-------------|-------------------------------------|
| सि.नं | साविक गाविस को/नपाको नाम | प्रा.वि. | नि.मा.वि | मा.वि | उ.मा.वि | स्नातक | स्नातकोत्तर | कैफियत (निजी तथा सामुदायिक खुलाउने) |
| १ | | | | | | | | |
| २ | | | | | | | | |
| ३ | | | | | | | | |
| ४ | | | | | | | | |

| क्र.स. | २. स्वास्थ्य केन्द्र |
|--------|----------------------|
| | |

| | साविक गा.वि.स /नपाको नाम | स्वास्थ्य केन्द्रको प्रकृति (स्वास्थ्य चौकी, प्रा.स्वा.के., आयुर्वेद, अस्पताल) | अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाको शैया संख्या(गोटा) | प्रस्तावित गाप/नपाको वडा नं | |
|---|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|
| १ | | | | | |
| २ | | | | | |
| ३ | | | | | |

| ३. कृषि सेवा केन्द्र | | | | | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------|-------|--------------------------------|--------|
| क्र.स | साविक गा.वि.स.वा नपाको नाम | भवनको प्रकृति: वटा | | | प्रस्तावित गाप/नपाको वडा नं | कैफियत |
| | | गोटा | कच्ची | पक्की | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |

| ४. पशु सेवा केन्द्र | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------------------|-------|-------|--------------------------------|--------|
| क्र.स. | साविक गाविस /नपाको नाम | भवनको प्रकृति: वटा | | | प्रस्तावित गाप/नपाको वडा नं | कैफियत |
| | | गोटा | कच्ची | पक्की | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |

| ५. हुलाक कार्यालय | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|--------|
| क्र.स.. | साविक गाविस /नपाको नाम | भवनको प्रकृति: वटा | | प्रस्तावित गाप/नपाको वडा नं | कैफियत |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|------|-------|-------|--|--|
| | | गोटा | कच्चि | पक्कि | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |

| ७ साविक गाविस /नपाका हालका भवनहरु | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-------|-------|------------------------------|--------|
| क्र.स.. | साविक गाविस /नपाको नाम | भवनको प्रकृति: वटा | | | प्रस्तावित गापा/नपाको वडा नं | कैफियत |
| | | पक्कि | कच्चि | पक्की | | |
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |

| ८ फोहोरमैला प्रशोधन / ल्याण्डफिल्ड साईटः | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| क्र.स. | साविक गाविस/ नपाको नाम | स्थान(प्रस्तावित नपा/गापाको वडा नं) | क्षेत्रफल(वर्ग किमी) | कैफियत |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |

| ९ खेलकुद मैदान | | | | |
|----------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| क्र.स.. | साविक गाविस/ नपाको नाम | स्थान(प्रस्तावित नपा/गापाको वडा नं) | क्षेत्रफल(वर्ग किमी) | कैफियत |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |

| १० पार्क तथा उद्यान | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------|
| क्र.स.. | साविक गाविस/ नपाको नाम | स्थान(प्रस्तावित | क्षेत्रफल(वर्ग | कैफियत |
| | | | | |

| | | नपा/गापाको वडा नं) | किमी) | |
|---|--|--------------------|-------|--|
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |

| ११ वसपार्क वा वस स्टेशन | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| क्र.स.. | साविक गाविस/ नपाको नाम | स्थान(प्रस्तावित नपा/गापाको वडा नं) | क्षेत्रफल(वर्ग किमी) | कैफियत |
| १ | | | | |
| २ | | | | |

| १२ ढल निकास ब्यवस्था | | | | |
|----------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| क्र.स.. | साविक गाविस/ नपाको नाम | स्थान(प्रस्तावित नपा/गापाको वडा नं) | ढलको लम्वाई(किमी) | कैफियत |
| १ | | | | |
| २ | | | | |

| १३ शवदाहको अवस्था र सम्भाव्यता | | | |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------|
| क्र.स.. | साविक गाविस/ नपाको नाम | स्थान(प्रस्तावित नपा/गापाको वडा नं) | कैफियत |
| १ | | | |

| १४ पर्यटकिय स्थल | | | |
|------------------|------------------------|--------------------------------------|------|
| क्र.स.. | साविक गाविस/ नपाको नाम | स्थान(प्रस्तावित नपा/गापाको वडा नं) | गोटा |
| १ | | | |
| २ | | | |
| ३ | | | |
| ४ | | | |

(ज) अन्य पुर्वाधार तथा स्रोतहरुः

| क्र.सं. | १ ङडक (किमि) | | | | कैफियत |
|---------|------------------------|---------|---------|-------|--------|
| | गाविक गावि / नपाको नाम | पिच ङडक | ग्राभेल | कच्चि | |
| १ | | | | | |
| २ | | | | | |
| ३ | | | | | |
| ४ | | | | | |

| क्र.सं. | खानेपानीको स्रोतको नाम | २ खानेपानीको स्रोत | | कैफियत |
|---------|------------------------|---|---|--------|
| | | खानेपानीको स्रोत रहेका गावि वा नपाको वडा नं | अव कायम रहने स्थान(प्रस्तावित गापा वा नपाको वडा नं) | |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |

| क्र.सं. | ३ वनक्षेत्र (निजी वन वाहेक) | | | क्षेत्रफल(वर्ग किमि) | कैफियत |
|---------|------------------------------|----------------------------------|--|----------------------|--------|
| | मुदायिक / कवुलियती वनको नाम | गाविक गावि वा नपाको नाम र वडा नं | अव कायम रहने स्थान(प्रस्तावित गापा वा नपाको वडा नं) | | |
| १ | | | | | |
| २ | | | | | |
| ३ | | | | | |
| ४ | | | | | |

| क्र.सं. | चाईको स्रोतको | ४ चाईको स्रोत | कैफियत |
|---------|---------------|---------------|--------|
| | | | |

| | नाम | साविक गाविस वा नपाको नाम र वडा नं | अव कायम रहने स्थान(प्रस्तावित गापा वा नपाको वाड नं) | |
|---|-----|-----------------------------------|--|--|
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |

| क्र.स.. | ताल तलैयाको नाम | ५ तालतलैया | | कैफियत |
|---------|-----------------|-----------------------------------|--|--------|
| | | साविक गाविस वा नपाको नाम र वडा नं | अव कायम रहने स्थान(प्रस्तावित गापा वा नपाको वाड नं) | |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |

| ६ खानेपानी प्रयोगको अवस्था | | | |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| क्र.स. | साविक गाविस वा नपाको नाम र वडा | खानेपानी पहुचको अवस्था(coverage) | खानेपानीको प्रकृति(पाईप, कुवा , खोला) |
| १ | | | |
| २ | | | |
| ३ | | | |
| ४ | | | |

| ७ सरसफाईको अवस्था | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|---|
| क्र.स. | साविक गाविस वा नपाको नाम र वडा | सौचालय भएका घरधुरी प्रतिशतमा | अव कायम हुने ईकाईमा रहने सार्वजनिक शौचालय (वटा) |
| | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| १ | | | |
| २ | | | |
| ३ | | | |
| ४ | | | |

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| ८ अव कायम हुने गापा वा नपाको टाढाको वस्तीवाट सम्बन्धित गापा वा नपाको केन्द्र पुग्न लाग्ने अनुमानित समय(घण्टा) | | |
| वाडा नं | Roadhead वाट गापा वा नपाको केन्द्र पुग्न लाग्ने समय | सेवा प्राप्त गरी घर फर्कन लाग्ने समय |
| | | |

९ बैंक तथा वित्तिय संस्था

| क्र.स.. | साविक गाविस वा नपाको नाम | सहकारी संस्था | फाईनान्स | विकास बैंक | बैंक | कैफियत(निजी वा सरकारी के हो उल्लेख गर्ने) |
|---------|--------------------------|---------------|----------|------------|------|--|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |

१० विद्युत सेवा(प्रतिशत)

| क्रस. | साविक गाविस वा नपाको नाम | लघु जलविद्युतवाट | सोलारवाट | केन्द्रिय प्रसारणवाट | विद्युत सेवा प्राप्त गर्ने कुल प्रतिशत | कैफियत |
|-------|--------------------------|------------------|----------|----------------------|--|--------|
| १ | | | | | | |
| २ | | | | | | |
| ३ | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| ४ | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| ११ खुला क्षेत्र | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------|----------------------|--------|
| क्रस. | साविक गाविस वा नपाको नाम | स्थान | क्षेत्रफल(वर्ग किमी) | कैफियत |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |

| १२ ब्यापारीक क्षेत्र (वजार) | | | | |
|------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|--------|
| क्रस. | साविक गाविस वा नपाको नाम | मुख्य वजार | केन्द्रवाटको दूरी (किमि) | कैफियत |
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |

| १२ थप पुर्वाधारहरु(अव कायम हुने नपामा रहने पुर्वाधारहरु - वटा) | | | | | | |
|---|-----------|------------------------|--|--------------------|---------|----------------------|
| क्रस. | संग्राहलय | सामुदायिक भवन वा सभाहल | हाटवजार वा फलफुल तथा तरकारी विक्री केन्द्र | प्राविधिक शिक्षालय | सपिड मल | वस पार्क/ वस टर्मिनल |
| १ | | | | | | |

(ट) साविक गाविस वा नगरपालिकाका कर्मचारी सम्बन्धी विवरण(स्थानीय तर्फको स्वीकृत दरवन्दीका)

| सिनं. | नाम | पद | तह श्रेणी | कैफियत |
|-------|-----|----|-----------|--------|
| १ | | | | |
| २ | | | | |
| ३ | | | | |
| ४ | | | | |

(ठ) प्रस्तावित गापा वा नपामा समावेश हुने गाविस वा नगरपालिकाको अचल सम्पत्ती विवरण(गाविस, नपा, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, हुलाक, रेन्जपोष्ट आदि कार्यालयको एकमुष्ट)

| क्रस. | अचल सम्पत्ति | इकाइ(वटा, विगाहा, रोपनी, कठ्ठा आदी) | स्वामित्व रहेका साविक गाविस वा नपा | कैफियत |
|-------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------|
| १ | भवन | | | |
| २ | जमिन | | | |
| ३ | गाडी | | | |
| ४ | मोटरसाईकल | | | |
| ५ | अन्य मेशीनरी | | | |
| ५ | अन्य | | | |

(ड) धार्मिक स्थलको नाम

| क्रस. | मन्दिर | मस्जिद | गुम्वा | चर्च | अन्य |
|-------|--------|--------|--------|------|------|
| | | | | | |
| | | | | | |

(ढ) विमानस्थल भए / नभएको:

हेलीप्याड:

आन्तरी विमानस्थल:

(ग) शवदाह र पशुवधशाला भए / नभएको

शवदाह:

पशुवधशाला:

(त) विशेष ब्यावसायीक खेती

१ पकेट खेती भए/ नभएको (भएको भए उल्लेख गर्ने):

२ ब्यवसायीक खेती(जस्तो अर्गानीक खेती वास्त्रापालन कुखुरा पालन आदी)

(थ) उद्योग (प्रस्तावित गापा र नगरपालिकाको क्षेत्र भित्र रहेका उद्योगको संख्या)

| घरेलु | साना | मझौला | ठुला |
|-------|------|-------|------|
| | | | |

(द) प्रस्ताविक गापा र नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहने होटल संख्या:

| तारे | साधारण |
|------|--------|
| | |

(ध) सुझाव सहितको सिफारिस:

बाजुरा जिल्लाको जनसंख्या (राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार) :

| uf-lj=-x? | jf*x? | | | | | | | | | hDdf |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ef+l^rfj/ | 1,074 | 481 | 264 | 365 | 315 | 391 | 413 | 318 | 658 | 4,277 |
| rlff+w" | 749 | 559 | 718 | 463 | 329 | 311 | 468 | 873 | 609 | 5,059 |
| ijO{ | 218 | 395 | 394 | 407 | 440 | 202 | 322 | 512 | 495 | 3,583 |
| rlff/la; | 714 | 928 | 392 | 1,425 | 965 | 1,187 | 1,437 | 820 | 506 | 8,374 |
| lalR%of | 158 | 294 | 384 | 349 | 272 | 361 | 404 | 245 | 276 | 2,725 |
| rlj Dxtf nf | 854 | 1,019 | 1,154 | 697 | 613 | 375 | 719 | 390 | 630 | 6,431 |
| a"(lu+uf | 398 | 301 | 293 | 543 | 345 | 497 | 710 | 476 | 479 | 4,042 |
| %tf/j | 214 | 455 | 357 | 582 | 441 | 485 | 375 | 544 | 299 | 3,712 |
| bxsj ^ | 590 | 278 | 345 | 265 | 504 | 585 | 556 | 226 | 1,089 | 4,438 |
| *j]u*lb | 348 | 302 | 248 | 498 | 382 | 652 | 362 | 274 | 390 | 3,456 |
| u]jqlb | 952 | 795 | 739 | 629 | 562 | 564 | 618 | 632 | 559 | 6,030 |
| u"b"vftlb | 582 | 620 | 252 | 731 | 1,347 | 481 | 239 | 254 | 624 | 5,150 |
| huGgfy | 248 | 354 | 507 | 386 | 292 | 466 | 419 | 730 | 185 | 3,587 |
| hojfu]Zj/lb | 351 | 220 | 340 | 289 | 149 | 189 | 278 | 375 | 341 | 2,512 |
| h"uj*fj | 332 | 746 | 473 | 842 | 498 | 472 | 917 | 417 | 661 | 5,538 |
| h"sf ^ | 381 | 391 | 267 | 339 | 318 | 422 | 384 | 427 | 301 | 3,230 |
| snfzdf)*fj} | 1,879 | 981 | 1,081 | 742 | 1,269 | 642 | 446 | 1,390 | 1,156 | 9,586 |
| sf*F | 489 | 257 | 247 | 287 | 341 | 196 | 727 | 354 | 302 | 3,200 |
| sf]N^lb | 870 | 969 | 623 | 955 | 548 | 679 | 737 | 1,199 | 554 | 7,134 |
| sf]l^nf | 514 | 345 | 520 | 291 | 257 | 299 | 378 | 260 | 360 | 3,224 |
| s"Nbjjdf)*fj}+ | 838 | 1,031 | 338 | 579 | 708 | 947 | 1,310 | 521 | 600 | 6,872 |
| dfgfsj ^ | 254 | 643 | 226 | 165 | 244 | 186 | 233 | 506 | 251 | 2,688 |
| df{*lb | 1,099 | 1,166 | 667 | 1,018 | 766 | 760 | 451 | 1,770 | 1,110 | 8,807 |
| kj)*";g | 519 | 445 | 313 | 390 | 1,587 | 349 | 1,126 | 1,537 | 485 | 6,751 |
| ?ulbg | 387 | 236 | 155 | 457 | 260 | 335 | 334 | 293 | 459 | 2,914 |
| :fKkj^F | 557 | 525 | 879 | 681 | 416 | 382 | 686 | 499 | 1,546 | 6,171 |
| lf]nlb | 641 | 589 | 545 | 441 | 590 | 608 | 588 | 528 | 535 | 5,065 |
| +:yfut | | | | | | | | | | 738 |
| hDdf hg;+Vof | 16,150 | 15,283 | 12,681 | 14,816 | 14,736 | 13,021 | 13,637 | 16,370 | 15,440 | 134,912 |

.....

संयोजक

**स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक सहयोग समिति
मिति:**